

अनुसूची-53 – प्रपत्र संख्या 186 एच ।

टी.सी. प्रपत्र – 8

(देखें नियम 101 वि. को. सं. भाग – 1)

चालान बाबत नकद रूपया जो मुकाम ..... के ..... में दाखिल किया जाय ।

चालान नं.

ट्रेजरी/सब ट्रेजरी

इम्पीरियल/रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ।

भेजने वाला भरेगा ।				महकमेंके अफसर या ट्रेजरी में भरेगा ।		
किसने दाखिल किया	नाम (ओहदा) और पता उस आदमी का जिसकी तरफ से रूपया दाखिल किया जाय ।	भेजे जाने वाले रूपये का (अगर कोई हो) पूरा ब्योरा।	रकम	हिसाब का मद ।	लेखा पदाधिकारी जिसके द्वारा रकम समायोजित की जायेगी ।	*बैंक का हुक्म
नाम :- पदनाम :-		जोड़.....				सही है । ले लीजिये और रसीद दे दीजिये । रूपया दाखिल करने का हुक्म देने वाले अफसर का दस्तखत और पूरा ओहदा । तारीख
* सरकारी अफसर के जर्इये बैंक में रूपया भेजे जाने की हालत में सिर्फ काम में लाया जायेगा ।						
* (लफजों में) रूपया ।						
रूपया लिया। ट्रेजरी .....एकाउन्टेन्ट.....तारीख.....ट्रेजरी अफसर/एजेन्ट.....						

नोट: 1. ट्रेजरी में दाखिल किये जाने वाले रूपये की हालत में 500/- रूपये से कम की रकम के लिए रसीदों पर ट्रेजरी अफसर के दस्तखत की जरूरत नहीं है सिर्फ एकाउन्टेन्ट और ट्रेजरर के दस्तखत की जरूरत है । लेकिन सर्विस स्टाम्पों कि लिए दिये हुये नकद रूपये और चेकों के लिए रसीद पर हमेशा ट्रेजरी अफसरों का दस्तखत होना चाहिये ।

2. दाखिल किये गये रकम का ब्योरा पुस्त पर दिया जाना चाहिये ।

3. उन हालातों में जहाँ सीधे बैंक में जमानत करने की इजाजत है वहाँ “हिसाब का मद” वाला खाना ट्रेजरी अफसर या एकाउन्ट्स अफसर से जैसी हालत हो बैंक का रोजाना फर्द के पाने पर भरा जायेगा ।